राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 415/2014/उदयपुर.
2. अपील संख्या – 416/2014/उदयपुर.

सहायक आयुक्त, वृत–बी, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स मुरलीवाला एग्रोटेक प्रा0 लिमिटेड,
7 रिको इण्डस्ट्रियल एरिया, उदययपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर. के. खदाव, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 12/10/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त दोनों अपीलें अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 216 व 217/CST/12–13/Udaipur में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.08.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 25, 55, 58, 61 व 65 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 13.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्ष 2009–10 व 2010–11 की अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निर्मित माल सत्तु, सीरा (हलवा), उपमा (नमकीन) सुकड़ी (देशी मिठाई) का विक्रय किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इन वस्तुओं का विक्रय गुजरात सरकार के क्रय आदेशों के अनुसार किये जाने में 01.11.2010 से पूर्व की अवधि में Extruded Fortified Blended Food (Sattu) (EFBF) को सत्तु न मानकर इसे बालभोग माना जाकर

लगातार.....2

अतिरिक्त करारोपण किया गया था, जबकि विक्रय बिलों एवं क्रय आदेशों में बालभोग नाम का कोई उल्लेख नहीं था। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपमा, हलवा, पंजीरी पर दिनांक 01.11.2010 के पश्चात् 5 प्रतिशत की करदेयता मानते हुए संशोधन आदेश दिनांक 10.01.2013 को पारित कर दिया गया था परन्तु EFBF सत्तु को सत्तु ना मानकर इसको बालभोग मानते हुए इस पर पूर्ण कर दर से करारोपण यथावत रखा गया था एवं करवंचना के आरोप में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गयी थी। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये गये कि वह यह जांच करें कि व्यवसायी द्वारा बिक्रीत वस्तु बालभोग है अथवा सत्तु। यह भी निर्देश दिये गये कि व्यवहारी के बिलों का परीक्षण किया जावे एवं यदि यह पाया जाये कि व्यवहारी द्वारा बालभोग की बिक्री की गयी है तो अतिरिक्त करारोपण किया जावे, अन्यथा नियमानुसार आदेश पारित किया जावे। इसके अलावा अपीलीय अधिकारी ने समस्त संव्यवहारों को लेखा—पुस्तकों में प्रविष्ठ होने एवं उन्हें विवरण—पत्रों में घोषित किया हुआ होने के आधार पर करवंचना का अपराध नहीं मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया, जिसके विरूद्ध राजस्व की ओर से यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में घोषित वस्तु सत्तु पर पूर्ण कर दर से इस आधार पर करारोपण किया गया है कि वह सत्तु ना होकर बालभोग की श्रेणी में आता है एवं जानबूझकर गलत वस्तु की घोषणा के आधार पर इसे करापवंचन का कृत्य माना जाना भी उचित होने से इस पर आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में त्रुटि की गयी है तथा प्रकरण में पुनः जांच के आदेश दिये जाने में भी त्रुटि की गयी है, फलतः अपीलीय आदेशों को निरस्त कर अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा Classification of Goods का विवाद होने से माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू (23 वी.एस.टी. 249)** के आलोक में एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान कर बोर्ड के विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आलोक में आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

7. उक्त प्रकरण में व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तु सत्तु को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Baby Food (बालभोग) माना जाने के विवाद पर अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों के तथ्यात्मक परीक्षण पर बिलों में माल का विक्रय बालभोग के रूप में नहीं किया जाना पाये जाने के आधार पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए पुनः परीक्षण कर करारोपण किये जाने के आदेश किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी के इस निर्णय में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी बिक्रीत वस्तु "सत्तु" अथवा "बालभोग" होने सम्बन्धी तथ्यात्मक परीक्षण के पश्चात् पुनः निर्णय कर सकते हैं, फलतः प्रतिप्रेषण के बिन्दु पर राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

8. प्रकरण में यह टिप्पणी किया जाना आवश्यक है कि जो कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.10.2011 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित किया गया था उस कर निर्धारण आदेश को स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्य बिन्दु पर दिनांक 10.01.2013 को संशोधित करते हुए व्यवहारी को राहत दी जा चुकी है, जिस पर कोई विवाद अवशेष नहीं रहा है।

9. प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के बिन्दु पर विचार किया गया। राजस्व द्वारा करापवंचन के अपराध में आरोपित शास्ति को अपास्त करने के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताया है, वह उचित नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में किसी वस्तु विशेष की कर दर के सम्बन्ध में युक्तियुक्त कारणों के कारण विवाद प्रस्तुत हुआ है, जिसमें व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल को कर दर अनुसूची में घोषित माल "सत्तु" माने जाने के आधार पर अनुसूची—IV की प्रविष्ठि के अनुसार कर उद्ग्रहित किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने इसे अनुसूची—IV से आच्छादित नहीं माना है। इस तरह केवल कर दर का विवाद है जबकि व्यवहारी द्वारा किये गये समस्त संव्यवहार उनकी लेखा—पुस्तकों में इंद्राजित किये हुए हैं एवं इसकी घोषणा विवरण—पत्रों में भी की गयी है। इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स** के ऊपर वर्णित निर्णय के आधार पर शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है, फलतः राजस्व की दोनों अपीलें अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलीय अधिकारी के आदेश की अतिशीघ्र पालना करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

10. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य